2429 E 28/3/18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–28/03/18को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत लौरिया–सुगौली पथ (कि0मी00 0 से 43.90) में उन्नयन कार्य वर्ष 2014–15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–763(अनु०) दिनांक 06.03.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत लौरिया–सुगौली पथ (कि0मी00 0 से 43.90) में उन्नयन कार्य वर्ष 2014–15
2.2	एकरारनामा संख्या	:	06 CMBD of 2014-15
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹45,59,58,500.00
2.4	संवेदक का नाम	:	CHANAKYA TECHNOS PVT. LTD.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	16.03.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	15.06.2016
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	03.08.2017
2.8	समयवृद्धि की मांग	:	03.08.2017

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

(1) मुख्य रूप से मूल एकरारनामा अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि अपर्याप्त होने के कारण समयवृद्धि की आवश्यकता पड़ रही है। 43.90 कि0मी0 के उन्नयन कार्य में मूल एकरारनामा अनुसार 3.75 मीटर चौड़ाई में 4.10 कि0मी0 में PQC तथा 39.80 कि0मी0 में WMM, BM एवं SDBC कार्य किया जाना था। परन्तु विभागीय निर्देश के आलोक में उक्त पथ के 0.00 से 14.70 कि0मी0 में पथ की चौड़ाइ 3.75 से 5.50 मीटर की गई। कार्य समाप्ति की अवधि निर्धारण सम्बन्धित विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु Working time 25 माह आता है (25.10 कि0मी0 में कराये गये WMM कार्य को छोड़कर) जिसके लिए 24 माह का working time निर्धारित करने का निदेश है। दो वर्षों में बरसात का 3 माह की दर से Non Working time जोड़ने के बाद यह अवधि 24+6 = 30 माह हो जाती है।

(2) माननीय National Green Tribunal द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक–404 दिनांक 09.02.2016 के आलोक में बालू का उत्खनन पूर्णतः बन्द होने के कारण माह फरवरी 2016 से बालू की आपूर्ति में काफी कठिनाई हुई। उक्त कारण से संवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2016 तक कार्य बाधित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि 1.5 माह कार्य विलम्ब की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता से प्राप्त है, जो उचित प्रतीत होता है।

4. कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–447 दिनांक 20.03.2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 15.05.2017 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा की गई थी, लेकिन कार्य वास्तविक तौर पर दिनांक 03.08.2017 को पूर्ण हुई है। साथ ही कार्य के मद एवं मात्रा में ही वृद्धि हुई है, अतः इस कार्य में पूरक एकरारनामा नहीं किया गया है।

5. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः**

कार्य दिनांक 03.08.2017 तक पूर्ण करा लिया गया है। अतः सम्यक विचारोपरान्त कार्य समाप्ति के लिये अपर्याप्त निर्धारित अवधि एवं National Green Tribunal के आदेश के आलोक में बालू की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 03.08.2017 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय** :–

5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–763 (अनु०) दिनांक 06.03.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत लौरिया–सुगौली पथ (कि0मी00 0 से 43.90) में उन्नयन कार्य वर्ष 2014–15 (एकरारनामा सं0–06 CMBD of 2014-15 हेतु दिनांक–03.08.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

28/03/18	28/03/18	28/3/18	28.3.18
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना	(रजनीश कुमार) उप सचिव –सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, पटना ।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना ।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–52/2017– 2429(E) पटना, दिनांक 28/3/18

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बेतीया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। /आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।